सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 29, शुक्रवार, *शाके* 1945-मई 19, 2023 *Vaisakha 29, Friday , Saka 1945- May 19, 2023*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

विभाग का नामः उपायुक्त आयोजना (प्रथम), नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 29, 2023

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010

संख्या एफ 13 ( ) उपा. आयो. /जननिगे/2022/952 :-भूखण्ड संख्या 12, स्कीम नम्बर 1, (प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0), खातीपुरा, जयपुर का क्षेत्रफल 388.88 व.ग. का जविप्रा द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा जारी है। आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान 2025 में मिश्रित आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत दर्शित है एवं 48 मीटर सड़क पर स्थित है। मूल भूखण्ड का आवासीय से मिश्रित (आवासीय एवं व्यवसायिक) भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति निगम स्तरीय समिति मेंप्रस्ताव संख्या 26 दिनांक 27.06.2022 द्वारा सड़क मध्य से 24 मी. चैड़ाई हेतु आवश्यक भूमि सड़क मार्गाधिकार बाबत निःशुल्क समर्पित करवायी जाकर शेष भूखण्ड क्षेत्रफल 376.38 व.ग. की प्रदान की गई हैं। उपरोक्त स्वीकृति की पालना में प्रश्नगत भूखण्ड के मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ परिवर्तन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैः-

1.भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी जो आस-पास के निवासकर्ताओं के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।

2.यह केवल आवेदित भूखण्ड के मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है। इस स्वीकृति को आवेदित भूखण्ड के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।

3.मास्टर डवलपमेंट प्लान 2025 के अनुसार भूखण्ड का उपयोग मिश्रित हेतु लिया जावेगा एवं भवन विनियमों अनुसार मानचित्र अनुमोदित करवाया जाना अनिवार्य रहेगा।

4.उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के अध्याधीन रहेगा।

5.आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 48 मीटर है। अतः सड़क के मध्य से 24 मीटर भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने हेतु स्वीकृति दी गई है।

6.भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से मिश्रित प्रयोजनार्थ व्यावसायिक लीज नियमानुसार शहरी जमाबन्दी के प्रावधानानुसार जमा करानी होगी जिसमें प्रावधानुसार समय-समय पर बढोतरी की जा सकेगी। जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल से पूर्व जमा करानी होगी।

आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन राशि रूपए 3,14,700/- एवं एक मुश्त लीज राशि रूपए 15,720/- जरिए रसीद संख्या 9003/45936 दिनांक 02.03.2023 को निगम कोष में जमा है।

महेन्द्र सोनी,
आयुक्त,
नगर निगम जयपुर
ग्रेटर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।